2013 11:35AM FAX

संख्या— 1472 / II(2)/14—75(सा0आ0)/2013

पत्र सं० 874/1Ac
13 MAR 2014

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2014

लोक निर्माण अनुभाग—2

विषयः— वित्तीय वर्ष 2013—14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 21 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 00 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 94.50 किमी0 व 06 सेतु है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 685.36 लाख (₹ छः करोड़ पिचासी लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 में संलग्नक के कॉलम सं0— में उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 21 कार्य हेतु ₹ 2.10 लाख (₹ दो लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(i)— उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0—1764/II(2)/10—17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)— आगणन में उल्लिखित दरों का [illegible] विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो इसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)— आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)— स्वीकृत किया जाने वाला कार्य [illegible] प्रोक्योरमेन्ट रूल्स—2008 एवं बजट के विषय में समय—समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0— 2047/XIV—219(2006) दिनांक 30—05—2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय [illegible] आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0—22—लेखाशीर्षक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—04 जिला तथा अन्य सड़कें— आयोजनागत—800—अन्य व्यय—00—सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण—00—24 वृहद निर्माण कार्य में विभागीय आय—व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

874/ 1Ac ... 13-3-14

—2—

(ix)-- स्वीकृत किये [illegible] रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)-- वर्तमान में कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के [illegible] चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में नियर्तन में रखी [illegible] धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत [illegible] जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत [illegible] अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना [illegible] ऐसे कार्य की स्वीकृति [illegible] निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण [illegible] कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में बनाई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप [illegible] विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध [illegible] होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0- 22--लेखाशीर्षक-[illegible] सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय--04 जिला तथा अन्य सड़कें --आयोजनागत --800--अन्य व्यय--03 [illegible] सेक्टर--02 नया निर्माण कार्य--24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग--2 के अशासकीय संख्या--870(A)/XXVII(2)/2013 दि0: 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-- यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
उप सचिव

संख्या-- 1473 (1)/III(2)/14-75(ग्रा0स0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :--

10. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
11. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
12. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
13. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
14. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
15. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. वित्त अनुभाग--2, उत्तराखण्ड शासन।
17. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
18. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव

(8)

शासनादेश संख्या: 1473 /III(2)/14–76(प्रा0शा0)/2013 दिनांक 04 मार्च, 2014 का संलग्नक

12	जनपद पौड़ी [illegible] के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत नैनीडाण्डा–नल्लूखाल मोटर मार्ग के स्थान ठाठी खाली से [illegible] तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय [illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	8.00	59.36 (₹ 45.80 + ₹ 13.56 [illegible])	0.10
13	जनपद बागेश्वर [illegible] विधान सभा क्षेत्र कपकोट में ग्राम हरबाड़ एवं [illegible] को जोड़ने हेतु [illegible] नदी पर स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण कार्य।	30mt	1.20	0.10
14	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग से [illegible]– [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	29.25	0.10
15	जनपद अल्मोड़ा [illegible] अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग के [illegible] बैण्ड से ग्राम [illegible] तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	6.00	45.93 (₹ 35.10 + ₹ 10.83 [illegible])	0.10
16	जनपद अल्मोड़ा [illegible] अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत [illegible] से [illegible] तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.00	15.31 (₹ 11.70 + ₹ 3.61 [illegible])	0.10
17	जनपद अल्मोड़ा [illegible] अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत [illegible] –बिरकोला–[illegible]–बिरखोली –तल्ला [illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (3 नं0 24 मी0 स्पान [illegible] गर्डर पुल सहित।)	25.00 + 03 Brg	196.57 (₹ 151.29 + ₹ 45.28 [illegible])	0.10
18	जनपद अल्मोड़ा [illegible] विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम [illegible] भौंगादेवली के [illegible] (तल्ली भौंगादेवली) तक [illegible] मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	23.44 (₹ 17.55 + ₹ 5.89 [illegible])	0.10
19	जनपद अल्मोड़ा [illegible] अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत [illegible] ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम [illegible] तथा [illegible] को [illegible] में 12 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पैदल पुल का निर्माण कार्य।	12.00 mtr.	1.74	0.10
20	जनपद अल्मोड़ा [illegible] विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण का [illegible]।	2.00	2.42 (₹ 0.34 + ₹ 2.08 [illegible])	0.10
21	जनपद अल्मोड़ा [illegible] विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जागेश्वर [illegible] भौंगादेवली लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	3.00	23.44 ([illegible])	0.10
	योग:–	94.50 + 06 brg	685.36	2.10

(कुल ₹ दो लाख दस हजार मात्र)

(महिमा)
उप सचिव